



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2014/भाद्र 11, 1936

No. 1723]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2014/BHADRA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2014

का.आ. 2206(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4बी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

| (1) | (2) | (3) |
|------|-------|--|
| “4बी | 102बी | मिजोरम राज्य में रारा-2 पर चुडाचांदपुर से प्रारंभ होकर सिनघाट, सिनजावल, तुईवाई रोड, एनगोपा, एचलियाप्पुई, साइचल को जोड़ने वाला और नया रारा-6 पर कीफैंग के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग। |

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1522(अ) तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2014

S.O. 2206(E).— In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 4B and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| (1) | (2) | (3) |
|-----|------|---|
| “4B | 102B | “The highway starting from Churachandpur on N.H-2 connecting Singhat, Sinzawl, Tuivai Road, Ngopa, Hliappui, Saichal and terminating at new NH No. 6 near Keifang in the State of Mizoram”. |

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot Note : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1522(E), dated 13th June, 2014.